APPENDIX - XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 7/55 Dated: 06/07/2023

Certified that the V. D.M. shiksha Niketan school (Name of the building or premises) at Jassowala (Address) comprised of Ground floor ~~basement(s)~~ and 03 (Upper floors) owned/ occupied by V. D. M. shiksha Niketan School (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 11-07-2022 (Date of inspection) in the presence of Vipul Gupta (Name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy up to classes XII (X/ XII) With effect from 13-07-2022 for a period of 03 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. Annexure-01
2.
3.
4.

Issued on 27/06/2023 (date of issue) at Dehradun (place) by Chief Fire Officer.

Signature with Seal: .... मुख्य अग्निशमन अधिकारी

Name : R.S. Khati देहरादून

Designation : CFO

Name & Address of Department/ Office: Chief fire office

To

V.D.M. shiksha Niketan School, Jassowala

(Name & Address of the Institution)

~~**ENDORSEMENT**~~

~~The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to~~

~~(reasons to be recorded).~~

~~(Name and designation of the authorized signatory)~~

कार्यालय मुख्य **अग्निशमन** **अधिकारी** देहरादून।

पत्रांकः न–20/असुव्य (755)/22–23

दिनांकः जुलाई 13, 2022

Annexure-01

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
वी. डी. एम. शिक्षा निकेतन स्कूल
(VDM.SHIKSHA NIKETAN SCHOOL)
(पूर्व नाम वी. डी. एम. हाई स्कूल)
ग्राम/पोस्ट ऑ0–जस्सोवाला
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 57935828 दिनांक 09.07.2022 के सम्बन्ध में।

आपके **विद्यालय** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **विकासनगर** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **11–07–2022** में आपके **विद्यालय** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **विकासनगर** की निरीक्षण आख्या **दिनांक 11–07–2022 के आधार** पर आपके **विद्यालय** हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 **देहरादूनः दिनांक** 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 13 –07–2022 से 12 –07–2025 **(03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक** अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। **साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील** होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अरि0 एस0 खत्री) 13/7/22
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

Principal
V.D.M. Shiksha Niketan
Jassowala D.Dun (U.K.)

Manager
V.D.M. Shiksha Vikas Samiti
Jassowala (Dehradun)